दिनांक 22.05.2021 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

पावर हाउस मार्केट में निगम और पुलिस की टीम ने किया संयुक्त निरीक्षण, कई अनावश्यक दुकान खुले मिले जिन्हें कराया गया बंद, वसूला गया जुर्माना

भिलाईनगर / कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आंशिक छूट मिलने के बाद कुछ व्यापारी नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यापार करते हुए नजर आए! कई बार समझाईश दिए जाने के बाद भी अनावश्यक रूप से दुकान खोलने की शिकायत पर आज जोन 03 मदर टैरेसा नगर की जोन आयुक्त प्रीति सिंह , मोबाइल टीम और पुलिस बल के साथ संपूर्ण मार्केट का निरीक्षण किए इस दौरान अनावश्यक से रूप खोले गए दुकानों को बंद कराया गया, निगम की गाड़ी को देखते ही बहुत से दुकानदार शटर बंद कर भाग खड़े हुए तो कई दुकानदार शटर के अंदर ही दुबके रहे। इसी के साथ ही मटन मार्केट , फल एवं सब्जी मंडी का भी निरीक्षण किए और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए समय तक ही व्यवसाय करने की समझाईश दिए। सर्कुलर मार्केट में 2 तथा आकाशगंगा के एक कपड़े दुकान वाले से अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की गई। एक दिन पूर्व भी शाम के समय सामग्री अनलोडिंग करने वाले से 2000 रुपए जुर्माना लेकर दंडित किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन तोड़ने लॉकडाउन लगाया गया है , जिसका अच्छा परिणाम भी मिलने लगा है , ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि कोरोना को हराने नियमों का पालन करते हुए शासन , प्रशासन का सहयोग करें। लॉकडाउन में आम नागरिकों को जरूरी सामान की उपलब्धता कराने की दृष्टिकोण से लॉकडाउन में व्यवसास के लिए दिए गए आंशिक छूट का गलत फायदा उठाते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए बेखौफ होकर व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। निगम क्षेत्र के पॉवर हाउस मार्केट में अनावश्यक दुकानों के खुलने और भीड़ लगने की शिकायत मिलने पर आज निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर मदर टैरेसा नगर जोन की आयुक्त प्रीति सिंह , मोबाइल टीम और छावनी थाना के पुलिस बल पावर हाउस , लिंक रोड, मटन मार्केट पहुंचे और दुकानों पर लगी भीड़ को नियंत्रित किया गया , निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों को आज दुकान नहीं खोलना है वे लोग भी दुकान खोलकर सामान देते हुए पाए जाने पर मौके पर 2 दुकानदारों से अर्थदण्ड वसूल किया गया। इसके पूर्व शुक्रवार की शाम मोबाइल टीम के निरीक्षण के दौरान पॉवर हाउस सब्जी मंडी में शाम के समय सामग्री की अनलोडिंग करने वाले से 2000 रूपए सहित 7 व्यापारियों से 4700 रूपए अर्थदण्ड वसूल किये थे। मोबाइल टीम ने निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया इस दौरान उल्लंघन करने वाले आकाशगंगा के कविता जीन्स हाउस से 2000 रूपए, जवाहर मार्केट के नरेश अग्रवाल से 1000

रूपए, हिन्दूस्तान बूट हाउस से 500 रूपए तथा पाॅवर हाउस मार्केट के 7 व्यापारियों से नियमों का उल्लंघन करने पर 4700 रूपए अर्थदण्ड वसूलते हुए नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे , संजय वर्मा, बालकृष्ण नायडू, दल प्रभारी प्रकाश अग्रवाल के साथ टीम के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।